राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1541/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
कमल नयन पारीक 3439] नीलकण्ठ महादेव] जयलाल मुंशी का रास्ता] चांदपोल], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव/उप रजिस्ट्रार राजस्थान सूचना आयोग, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस. एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 04-07-2017 के द्वारा अपील संख्या 764/2013 निर्णय दिनांक 07-01-2015 की प्रति जिस पत्र से संबंधित को भिजवाई गई उस पत्र की प्रति एवं प्रेषक पंजिका की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही गई है, वह तृतीय पक्षकार से संबंधित है। अपीलार्थी इसमें किसी तरह से पक्षकार नहीं है और इस सूचना में अपीलार्थी ने कोई लोकहित नहीं दर्शाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गिरीशरामचन्द्र देश पाण्डे के प्रकरण में तृतीय पक्षकार की सूचना को दिया जाना आवश्यक नहीं होना दर्शाया है। इस कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है।

7. अपीलोत्तर के अनुसार वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने में क्या लोकहित है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। किन्तु आवेदन में द्वितीय अपील निर्णय के प्रेषित करने के पत्र की प्रति एवं डिस्पेच

रजिस्टर की प्रति चाही गई है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार देय है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में अपीलार्थी को आवेदन में वांछित पत्र प्रेषण की प्रति एवं आवेदन के अनुसार डिस्पेच रजिस्टर की प्रति निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त